



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092024-256845
CG-DL-E-02092024-256845

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2024/भाद्र 11, 1946

No. 492]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2024/BHADRA 11, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2024

संख्या 22/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 532(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक, 19 जुलाई, 2022, जिसे संख्या सा.का.नि. 584 (अ), दिनांक 19 जुलाई, 2022, में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्र. सं. 2 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "एविंशन् टर्बाइन फ्यूल, जब भूटान के अलावा अन्य देशों को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) क्र. सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“3	2710	एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जब भूटान को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो	शून्य प्रति लीटर”।

2. यह अधिसूचना 3 सितम्बर, 2024 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 190354/257/2023-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट : मुख्य अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 19 जुलाई, 2022 जिसे सा.का.नि. संख्या 584 (अ), दिनांक 19 जुलाई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2024- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 अगस्त, 2024 जिसे सा.का.नि. संख्या 525(अ), दिनांक 30 अगस्त, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2024

No. 22/2024-Central Excise

G.S.R. 532(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 18/2022-Central Excise, dated the 19th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 584 (E), dated the 19th July, 2022, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against S. No. 2, for the entry in column (3), the entry “Aviation Turbine Fuel, when cleared for export to countries other than Bhutan” shall be substituted;
- (ii) after S. No. 2 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“3.	2710	Aviation Turbine Fuel, when cleared for export to Bhutan	Nil per litre”.

2. This notification shall come into force on the 3rd day of September, 2024.

[F. No 190354/257/2023-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 18/2022-Central Excise, dated the 19th July, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 584 (E), dated the 19th July, 2022, and was last amended *vide* notification No. 21/2024-Central Excise, dated the 30th August, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 525(E), dated the 30th August, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2024

संख्या 23/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 533(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022, जिसे संख्या सा.का.नि. 492 (अ), दिनांक 30 जून, 2022 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्र. सं. 1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि " मोटर स्पिरिट, सामान्यता जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, जब भूटान के अलावा अन्य देशों को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्र. सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"1क	2710	मोटर स्पिरिट, सामान्यता जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, जब भूटान को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो	शून्य प्रति लीटर" ।

- (iii) क्र. सं. 2 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि " मोटर स्पिरिट, सामान्यता जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, जब भूटान के अलावा अन्य देशों को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्र. सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"3	2710	हाई स्पीड डीजल ऑइल, जब भूटान को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो	शून्य प्रति लीटर" ।

- पैराग्राफ 2 को लोप किया जाएगा;
- यह अधिसूचना 3 सितम्बर, 2024 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 190354/257/2023-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट : मुख्य अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022 जिसे सा.का.नि. संख्या 492 (अ), दिनांक 30 जून, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 29 फरवरी, 2024 जिसे सा.का.नि. संख्या 149(अ), दिनांक 29 फरवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2024

No. 23/2024-Central Excise

G.S.R. 533(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 04/2022-Central Excise, dated the 30th June, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 492 (E), dated the 30th June, 2022, namely:-

In the said notification,-

(a) in the Table,-

- (i) against S. No. 1, for the entry in column (3), the entry “Motor spirit, commonly known as petrol, when cleared for export to countries other than Bhutan” shall be substituted;
- (ii) after S. No. 1 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“1A.	2710	Motor spirit, commonly known as petrol, when cleared for export to Bhutan	Nil per litre”;

- (iii) against S. No. 2, for the entry in column (3), the entry “High speed diesel oil, when cleared for export to countries other than Bhutan” shall be substituted;
- (iv) after S. No. 2 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“3.	2710	High speed diesel oil, when cleared for export to Bhutan	Nil per litre”;

(b) paragraph 2 shall be omitted.

3. This notification shall come into force on the 3rd September, 2024.

[F. No 190354/257/2023-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 04/2022-Central Excise, dated the 30th June, 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 492 (E), dated the 30th June, 2022, and was last amended *vide* notification No. 09/2024-Central Excise, dated the 29th February, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 149(E), dated the 29th February, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2024

संख्या 24/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 534(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022, जिसे संख्या सा.का.नि. 498 (अ), दिनांक 30 जून, 2022 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्र. सं. 1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि " मोटर स्पिरिट, सामान्यता जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, जब भूटान के अलावा अन्य देशों को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्र. सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"1क	2710	मोटर स्पिरिट, सामान्यता जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, जब भूटान को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो	शून्य प्रति लीटर"।

- (iii) क्र. सं. 2 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि " मोटर स्पिरिट, सामान्यता जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, जब भूटान के अलावा अन्य देशों को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्र. सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"3	2710	हाई स्पीड डीजल ऑइल, जब भूटान को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो	शून्य प्रति लीटर"।

- पैराग्राफ 2 को लोप किया जाएगा;
- यह अधिसूचना 3 सितम्बर, 2024 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 190354/257/2023-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट : मुख्य अधिसूचना संख्या 10/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022 जिसे सा.का.नि. संख्या 498 (अ), दिनांक 30 जून, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2023- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 3 मार्च, 2023 जिसे सा.का.नि. संख्या 168(अ), दिनांक 3 मार्च, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2024

No. 24/2024-Central Excise

G.S.R. 534(E).— In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2022-Central Excise, dated the 30th June, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 498(E), dated the 30th June, 2022, namely:-

In the said notification,-

(a) in the Table,-

- (i) against S. No. 1, for the entry in column (3), the entry “Motor spirit, commonly known as petrol, when cleared for export to countries other than Bhutan” shall be substituted;
- (ii) after S. No. 1 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“1A.	2710	Motor spirit, commonly known as petrol, when cleared for export to Bhutan	Nil per litre”;

- (iii) against S. No. 2, for the entry in column (3), the entry “High speed diesel oil, when cleared for export to countries other than Bhutan” shall be substituted;
- (iv) after S. No. 2 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“3.	2710	High speed diesel oil, when cleared for export to Bhutan	Nil per litre”;

(b) paragraph 2 shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 3rd September, 2024.

[F. No 190354/257/2023-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 10/2022-Central Excise, dated the dated the 30th June, 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 498(E), dated the dated the 30th June, 2022, and was last amended *vide* notification No. 12/2023- Central Excise, dated the 3rd March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 168(E), dated the 3rd March, 2023.